न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 406/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
बाबुराम पुत्र पोकरराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम कोलू पाबूजी तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1–श्रीमती सुगनी पुत्री सांगाराम पत्नी कुम्भाराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम भीयासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर 2– चम्पा पुत्री सांगाराम पत्नी भूराराम जाति मेगवाल निवासी वार्ड नंबर 28, फलोदी जिला जोधपुर 3– धुडी पुत्री सांगाराम पत्नी रतनाराम जाति मेगवाल निवासी वार्ड नंबर 28, तहसील फलोदी जिला जोधपुर 4– जमना पत्नी सांगाराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम कोलू पाबुजी, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29–4–2014 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा रिमाण्ड पत्रावली संख्या 9/2012 एवं 10/2012 मे पारित किया गया ।

राजस्व अपील संख्या 400/17

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– उदाराम पुत्र जवाराराम 2– पूरादेवी पत्नी स्व0 बीजाराम 3– नरूराम पुत्र स्व0 बींजाराम 4– कुशालराम पुत्र स्व0 बींजाराम 5– मुनाराम पुत्र स्व0 बींजाराम 6– जोगाराम पुत्र स्व0 बींजाराम 7– रेशमाराम पुत्र स्व0 बींजाराम 8– प्रेमाराम पुत्र स्व0 बीजाराम 9– भेराराम पुत्र स्व0 बींजाराम सभी जातियान मेगवाल निवासी कोलूपाबुजी तहसील लोहावट (फलोदी) जिला जोधपुर 10– बेचु पुत्री स्व0 बींजाराम पत्नी हुकमाराम जाति मेगवाल निवासी सुआलिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1– सुगनी पुत्री सांगाराम पत्नी कुम्भाराम जाति मेगवाल निवासीगण भींयासर तहसील फलौदी जिला जोधपुर 2– चम्पा पुत्री सांगाराम पत्नी भुराराम 3– धुडी पुत्री सांगाराम पत्नी रतनाराम दोनो जातियान मेगवाल निवासीगण वार्ड नंबर 28, फलोदी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर 4– बाबूराम पुत्र सांगाराम जाति मेगवाल निवासी पाबू छंवरा (कोलू पाबुजी) तहसील लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार लोहावटजो प्रकरण संख्या 9/2012 अनवान सुगनी बनाम बाबुराम मे दिनांक 29–4–2014 को पारित किया गया।

राजस्व अपील संख्या 401/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
भोमाराम पुत्र आदुराम जाति मेगवाल निवासी कोलूपाबुजी, तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1– सुगनी पुत्री सांगाराम पत्नी कुम्भाराम जाति मेगवाल निवासीगण भींयासर तहसील फलौदी जिला जोधपुर 2– चम्पा पुत्री सांगाराम पत्नी भुराराम 3– धुडी पुत्री सांगाराम पत्नी रतनाराम दोनो जातियान मेगवाल निवासीगण वार्ड नंबर 28, फलोदी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर 4– बाबूराम पुत्र सांगाराम जाति मेगवाल निवासी पाबू छंवरा (कोलू पाबुजी) तहसील लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार लोहावटजो प्रकरण संख्या 10/2012 अनवान सुगनी बनाम बाबुराम मे दिनांक 29–4–2014 को पारित किया गया।

राजस्व अपील संख्या 402/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– दमाराम पुत्र पन्नाराम 2– पूनाराम पुत्र पन्नाराम 3– पूरी बेवा आदुराम 4– सिणगारी बेवा मिठुराम सभी जातियान मेगवाल निवासीगण कोलूपाबूजी तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1– सुगनी पुत्री सांगाराम पत्नी कुम्भाराम जाति मेगवाल निवासीगण भींयासर तहसील फलौदी जिला जोधपुर 2– चम्पा पुत्री सांगाराम पत्नी भुराराम 3– धुडी पुत्री सांगाराम पत्नी रतनाराम दोनो जातियान मेगवाल निवासीगण वार्ड नंबर 28, फलोदी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर 4– बाबूराम पुत्र सांगाराम जाति मेगवाल निवासी पाबू छंवरा (कोलू पाबुजी) तहसील लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार लोहावटजो प्रकरण संख्या 9/2012 अनवान सुगनी बनाम बाबुराम मे दिनांक 29–4–2014 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अपीलांट अधिवक्ता अपील संख्या 406/07 मे ।
2– श्री बाबूलाल विश्नोई अपीलांट अधिवक्ता अपील संख्या 400,401,402/07 मे।
3–श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 17–1–2018

उक्त चारो अपीलो मे वर्णित वादग्रस्त भूमि एक समान होने तथा एक समान विषय वस्तुत होने से उक्त चारो ही अपीलो का निर्णय एक ही आदेश से पारित किया जा रहा है । प्रत्येक पत्रावली मे निर्णय की एक–एक मूल प्रति नत्थी हो । उपरोक्त चारो अपीलो का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कालू राठोडा के खसरा नंबर 575 रकबा 52.12 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट से सांगा, पोकर पि0 गुला भांबी सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज था । इसी प्रकार ग्राम कोलू पाबूजी के खेत खसरा नंबर 138 रकबा 104.12 बीघा, खसरा नंबर 314 रकबा 15.19 बीघा भूमि मे जवारा, आदिया, दया, पूना, हरिया पि0 पन्ना, चैनाराम, भूराराम पि0 मिठूराम 1/2 व सालगा, पोकर पि गुला 1/2 खातेदार दर्ज था तथा ग्राम कोलू पाबूजी के खसरा नंबर 313 रकबा 8.19 बीघा एवं खसरा नंबर 312 रकबा 6 बिस्वा गै.मु.ढाणी मे सांगलिया पुत्र. गुलाराम की खातेदारी दर्ज थी ।

खातेदार सांगाराम के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि ग्राम कोलू राठौडा मे नामांतरकरण संख्या 437 एवं ग्राम कोलू पाबूजी मे नामांतरकरण संख्या 343 भरा गया जिसे नायब तहसीलदार फलोदी द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त दोनो नामांतरकरणो के विरूद्ध सांगाराम की 3 पुत्रियों (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3) ने मृतक सांगाराम की विधिक वारिसान होने से अपीलाधीन म्युटेशनो मे उनका भी नाम दर्ज करवाने बाबत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष दो पृथक पृथक अपीलें पेश की जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी ने बाद सुनवाई के अपने निर्णय दिनांक 16–5–2012 के द्वारा उक्त दोनो ही नामांतरकरणो को निरस्त करते हुए दोनो प्रकरण तहसीलदार फलोदी को मृतक सांगाराम के सही वारिसान की पूर्ण जांच कर सभी को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करते हुए पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया । जिसकी पालना मे तहसीलदार लोहावट ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–4–2014 के द्वारा ग्राम कोलू पाबूजी के खसरा नंबर 138 रकबा 104.12 बीघा, खसरा नंबर 314 रकबा 15.19 बीघा भूमि के 1/4 हिस्सो तथा खसरा नंबर 313 रकबा 8.19 बीघा, खसरा नंबर 312 रकबा 06 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा तथा ग्राम

कोलू राठौडान के खसरा नंबर 575 रकबा 50.12 बीघा भूमि मे 1/2 सांगाराम के हिस्से मे उनके विधिक उतराधिकारी सुगनी, चम्पा व धूडी पुत्रियां स्व0 सांगाराम व सांगाराम की पत्नी छोटीदेवी के नाम नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये । जिसके विरूद्ध उपरोक्त चारों अपीले इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार लोहावट ने अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित निर्णय मे दिये गये निर्देशो की अवहेलना करते हुए तथा अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अपील संख्या 406/07 मे वकील अपीलांट ने कथन किया कि इसी अपीलाधीन भूमि के संबंध मे एक नियमित वाद सहायक कलेक्टर फलोदी के न्यायालय मे सुगनीदेवी बनाम जवाराराम का लंबित है तथा उस नियमित वाद मे रेस्पो0 ने खातेदारी घोषणा की मांग की है । जब किसी विवादग्रस्त भूमि के संबंध मे नियमित वाद विचाराधीन हो तो उसी भूमि के संबंध मे नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही मे किसी प्रकार का आदेश पारित करना न्यायोचित नही है परंतु तहसीलदार लोहावट ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने पूर्व मे भी इसी भूमि के संबंध मे एक नियमित वाद पेश किया था, जो खारीज हो चुका था तो उसी भूमि बाबत नामांतरकरण की कार्यवाही मे कोई आदेश पारित नही किया जा सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार लोहावट ने अपीलाधीन निर्णय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है क्योंकि तहसीलदार का स्थानांतरण अन्यत्र हो गया था तथा नायब तहसीलदार ने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि वे पत्रावली पर निर्णय करने हेतु सक्षम ही नही थे ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलौदी ने उनके समक्ष प्रस्तुत दो अपीले क्रमश : 9/2012 एवं 10/2012 का निर्णय एक ही आदेश से पारित करते हुए अपीलाधीन दोनो म्युटेशन संख्या 437 एवं 343 को निरस्त कर दिया जबकि कानूनन दोनो अपीलो को अलग अलग तय करना चाहिये था तथा एक ही आदेश से दो म्युटेशनो को निरस्त नही किया जा सकता था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने इस संबंध मे आर.आर.डी.1983 पेज 811 तथा आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 659 की निर्णय नजीरे पेश की ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लोहावट के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही मिला क्योकि अपीलांट एक वृद्ध एवं अनपढ काश्तकार होने से उसे उक्त पत्रावली फलोदी से लोहावट स्थानांतरित होने की जानकारी नही हो सकी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपील संख्या 400, 401 एवं 402/17 के अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांटगण अपीलाधीन भूमि के सद्भावी क्रेतागण है जिनका नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज था तथा यह भी कथन किया कि तहसीलदार लोहावट स्वयं भूमिधारी है जिनके पास सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध होते हुए उन दस्तावेजो का अवलोकन एवं परीक्षण किये बिना तथा अपीलांटगण जिनका उक्त अपीलाधीन भूमि मे सीधा हित निहित होने पर भी उन्हे पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण के पक्ष मे अपीलाधीन भूमि के किये गये बेचान के संबंध मे रेस्पो0 सुगनी एवं धूडी स्वयं ने एक सहमति पत्र दिनांक 24-5-2002 को इस आशय का लिखकर अपने अंगुठा निशान लगाकर नोटेरी पब्लिक फलोदी द्वारा तस्दीक करवाकर निष्पादित किया था जिसमे अपीलाधीन दोनो नामांतरकरण संख्या 437 एवं 563 उनकी सहमति से भरे गये तथा उक्त नामांतरकरणो के बारे मे उन्हे कोई आपत्ति नही होना उल्लेख

किया था तो विधि अनुसार रेस्पो0 सुगनी एवं धूडी उक्त सहमति पत्र से पाबंद थी तथा एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित थी परंतु इस तथ्य पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त य़ोग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण बाबत रेस्पो0 ने एक दाण्डिक प्रकरण भी दर्ज करवाया गया था जिसमे नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है इन तमाम तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए तहसीलदार लोहावट द्वारा निर्णय पारित किया गया है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान फार्म नबर 3 के सलंग्न न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश जोधपुर मे दर्ज राजस्व अपील संख्या 26/72 जिसमे पारित निर्णय दिनांक 21–1–73 की छायाप्रति पेश करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार सांगाराम के पक्ष मे स्वीकृत हुए म्युटेशन को ही उक्त निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया था तो सांगाराम तो अपीलाधीन भूमि का खातेदार ही नही था तो उसके आगे के म्युटेशन स्वतः ही निरस्त हो चुके थे ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उपरोक्त अपीलो हो स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 9/2012 एवं 10/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 29–4–2014 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी एवं तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रकरण संख्या 9/2012 एवं 10/2012 मे पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–4–2014 का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 मृतक खातेदार सांगाराम की जायंदा पुत्रियां है तथा सांगाराम के हिस्से की खातेदारी की भूमि मे वे प्रथम श्रेणी की वारिसान होते हुए खातेदार सांगाराम के फोत होने पर भरे गये नामांतरकरण संख्या 437 एवं 343 मे उन्हे वंचित रखते हुए तथा बिना वारिसान की जांच किये केवल मृतक सांगाराम के दो पुत्रो एवं पत्नी के नाम स्वीकृत कर दिये जो विधिसम्मत नही होने से उन म्युटेशनो के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पर पारित निर्णय के द्वारा उक्त दोनो म्युटेशनो को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर उन्हे सुनवाई का अवसर देकर नये सिरे से म्युटेशन की कार्यवाही हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लोहावट ने विधिवत मृतक सांगाराम के विधिक वारिसान की जांच कर उनको सुनवाई

का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त चारो अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के जवाब मे कथन किया कि हमारे द्वारा कोई सहमति पत्र निष्पादित नही किया गया है तथा इस न्यायालय मे जिन दस्तावेजो की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की है, उन्हे रेकर्ड पर नही लिया जा सकता है । यदि कोई दस्तावेज पेश करने है तो विधिवत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश करने चाहिये थे इसके बिना इन दस्तावेजो को विधिवत नही देखा जा सकता है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि बाबूराम जो कि मृतक सांगाराम के भाई पोकरराम का लडका है जिसका सांगाराम के खातेदारी की भूमि मे कोई अधिकार नही होने से तहसीलदार लोहावट ने बाद जांच जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उक्त अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता ने अपीलाधीन भूमि के जिस दावे के लंबित होने का कथन किया है तो दावा तो केवल सुगनी अकेली ने कर रखा है शेष पुत्रियों ने कोई दावा पेश नही किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो तथा अपीलाधीन दोनो म्युटेशन संख्या 437 एवं 343 का अवलोकन किया तथा तहसीलदार लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । वर्तमान अपीलो मे रेस्पो0 संख्या 1 से 3 जो कि मृतक खातेदार सांगाराम की पुत्रियां है जिन्होने अपीलाधीन दोनो म्युटेशन संख्या 437 एवं 343 मे वर्णित भूमियो मे उतराधिकार के तहत अपना हक अधिकार होने का कथन करते हुए अपीले प्रस्तुत की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी ने तथा तहसीलदार लोहावट द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये है जिनके विरूद्ध उपरोक्त चारो अपीले इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत हुई है ।

इस संबंध मे रेकर्ड पर उपलब्ध अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित हुए पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि म्युटेशन संख्या 437 एवं 343 मे वर्णित भूमियो मे से अधिकांश भूमियो का बेचान हो चुका

है तथा बेचान के आधार पर केतागणो का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुका है, ऐसे मे केतागण के पक्ष मे पंजीबद्ध बेचान के अस्तित्व मे रहते म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये केतागण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना न्यायोचित नही होगा परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना तथा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे रेस्पो0 पुत्रियों ने एक नियमित वाद सहायक कलेक्टर फलोदी के न्यायालय मे प्रस्तुत करना तथा लंबित होना अवगत कराया है तो उक्त नियमित वाद के निर्णय से ही रेस्पो0 पुत्रियो के अधिकारो की घोषणा संभव है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त चारो अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–4–2014 निरस्त किया जाता है तथा म्युटेशन संख्या 437 एवं 343 यथावत रखे जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 17–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर